लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – गौरव अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
065/2023 (GCMS 2023/253)	31.08.2023	18.10.2023

अनवान

ओमप्रकाश सोमानी निवासी मास्टर कॉलोनी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (मोबाईल 98290 35870)

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 25.07.2023 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./065/2023(सू.अ.) (20.09.2023)/650 दिनांक 01.09.023 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 20.09.2023 अपील अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ से पत्रांक एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/886 दिनांक 11.09.2023 से बिन्दुवार टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ से प्राप्त टिप्पणी/कमेंट्स निम्नानुसार है :-

1. यह कि प्रार्थी श्री ओमप्रकाश सोमानी निवासी मास्टर कॉलोनी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (मोबाईल 98290 35870) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 26.07.2023 को प्राप्त हुआ हैं।
2. यह कि प्रार्थी प्रार्थना-पत्र से वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, विधि अनुभाग जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/विधि/प.16-5/सू.का.अ./2023/1134 दिनांक 08.09.2023 से प्राप्त कर इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/119 दिनांक 11.09.2023 से प्रार्थी को डाक द्वारा निःशुल्क भिजवाई जा चुकी है। (पत्र की प्रति संलग्न है)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने से अब इस प्रकरण पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती हे।
4. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

दिनांक 27.09.2023 को अपीलार्थी का प्रार्थना-पत्र दिनांक 23.09.2023 इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 23.09.2023 में अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्रांक/सम/119 दिनांक 11.09.2023 से प्रेषित सूचना गलत बताई गई है प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई सूचना भिजवाई गई तो प्राप्ति रसीद या डाक एडी रसीद की छाया प्रति भिजवाने का श्रम करावें। प्रार्थी को प्राप्त पत्र क्रमांक/जिशिअ/मु/माध्य/विधि/2023/128 दिनांक 10.08.2023 प्राप्त हुआ जिसकी छायाप्रति संलग्न है, एवं अपीलार्थी को सुनवाई का सूचना पत्र दिनांक 20.09.2023 को प्राप्त हुआ है एवं प्रार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है। अपीलार्थी की और से प्रेषित पत्र शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

प्रशासनिक एवं चुनाव कार्यो की व्यस्तता से अपील निस्तारण में अल्प कालीन विलम्ब हुआ है। हमने पत्रावली पर उपलब्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन एवं उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन-मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में आवेदक/अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक 25.07.2023 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी को जरिये पत्रांक/सम/119 दिनांक 11.09.2023 से सूचना प्रभारी अधिकारी, विधि अनुभाग जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/विधि/प.16-5/सू.का.अ./2023/1134 दिनांक 08.09.2023 से प्राप्त सूचना भिजवाई जा चुकी है। इस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 23.09.2023 में अपीलार्थी द्वारा स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी का पत्रांक/सम/119 दिनांक 11. 09.2023 प्राप्त हो चुका है। हमने लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित संलग्नको में पत्रांक/सम/119 दिनांक 11.09.2023 का अवलोकन किया। उक्त पत्र में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 25.07.2023 के संबंध में सचूना प्रभारी अधिकारी विधि अनुभाग जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ से पत्रांक/सम/1134 दिनांक 08.09.2023 से प्राप्त हुई जिसे भिजवाया गया है।

हमने प्रभारी अधिकारी अधिकारी के पत्रांक/सम/1134 दिनांक 08.09.2023 का अवलोकन किया। उक्त में प्रभारी अधिकारी विधि अनुभाग जिला कार्यालय द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 25.07.2023 से वांछित सूचना के क्रम में पत्रांक/विधि/प.16–5(**D**)(1)(20)2023/551 दिनांक 05.07.2023 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रेषित की गई है। उक्त पत्रों की छाया प्रतियां अपीलार्थी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 23.09.2023 के साथ अपीलार्थी द्वारा स्वयं इस न्यायालय को प्रेषित की गई है। हमने अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 25.07.2023 का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 25.07.2023 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ से न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.प्र.) चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 19722014 (19/2019) **CIS No.** 291/2014 प्रथम सूचना संख्या 44/2014 पुलिस थाना कपासन राजस्थान राज्य बनाम ओमप्रकाश सोमानी निवासी मास्टर कॉलोनी कपासन निर्णय फैसला दिनांक 03.02.2023 उक्त प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा अपील की गई या नहीं की सत्पापित सूचना चाही गई है। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्रांक/सम/551 दिनांक 05.07.2023 से पत्रावली पर अपील/नो अपील के अंतिम विनिश्चय हेतु पत्रावली विधि परामर्शी विधि एवं विधिक कार्य विभाग शासन सचिवालय राज. जयपुर को प्रेषित की जा चुकी है। उक्त पत्र अपीलार्थी द्वारा स्वयं ही पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये है जो कि शामिल पत्रावली हैं।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। प्रकरण का गहनता पूर्वक परिशीलन/अध्ययन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार हैं, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियाॅ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल है, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है। हस्तगत प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से अपीलार्थी/प्रार्थी आवेदक को अवगत कराया जा चुका है कि अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो कि लो प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है।

अधिनियम 2005 के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को अधिनियम 2005 के तहत सूचित किया गया है कि की प्रकरण में अंतिम विनिश्चय हेतु सक्षम स्तर प्रेषित किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में हम इस तथ्य से पूर्ण रूपेण संतुष्ट है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 25.07.2023 से वांछित सूचना अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) के पास उपलब्ध पूर्ण सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई है। यह तथ्य अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से ही प्रमाणित होता है, ऐसी सिथति मे हम अपीलार्थी की पुनः किसी भी प्रकार से सुनवाई को उचित नहीं मानते है एवं इसी आधार पर अपील अपीलार्थी का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी से सहमत है जिससे अपील अपीलार्थी सारहीन होकर बलहीन है जिससे खारीज किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी जो कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 25.07.2023 को प्रेषित किया गया है, जो कि लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 26.07.2023 को प्राप्त हुआ है बाबत् सारहीन होकर बलहीन होने से खारीज किये जाने योग्य होने से खारीज की जाती है।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **18.10.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(गौरव अग्रवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)